न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	सीसीएमएस नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
46 / 2020 / वाद पत्र	2020 / 00168	02.09.2020	07.11.2025

उनवान

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भूरालाल जी छीपा उम्र 68 वर्ष पेशा खेती निवासी प्रतापपुरा हाल शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–वादी

बनाम

1. श्री सोहनलाल पुत्र भूरालाल जी छीपा निवासी सिंधी कॉलोनी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

1/1– मु. आशादेवी पत्नी सोहनलाल छीपा निवासी सिंधी कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

1/2– श्रीमती अंजना पुत्री सोहनलाल छीपा पत्नी विनोद अंछारा (छीपा) निवासी विनोद इलेक्ट्रोनिक्स, बैंक के पास, बस स्टेण्ड, मु.पो. कुवारियां जिला राजसमन्द

1/3– श्रीमती अंजना पुत्री सोहनलाल छीपा पत्नी राजेश धनोपिया निवासी धनोपिया भवन कृष्ण कॉलोनी, विक्टोरिया हॉस्पीटल के पीछे, लोहागल रोड़, अजमेर

1/4– सुनील कुमार पुत्र सोहनलाल छीपा निवासी सिंधी कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

1/5– सुरेश कुमार पुत्र सोहनलाल छीपा निवासी सिंधी कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

2. मु. प्रेम पुत्री सालगराम गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. मु. केसर पत्नी हीरा गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. मांगीलाल पुत्र हीरा गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5. मु. रामू पुत्री हीरा गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6. सुखदेव पुत्र खाना गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7. हरिनारायण पिता भैरूलाल गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8. मु. धन्नी पुत्री मु. गलकू गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक, शाखा सुभाष नगर, भीलवाड़ा
11. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व नक्शा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री त्रिलोकचंद नौलखा :– अभिभाषक वादी
श्री दिनेश व्यास :– अभिभाषक प्रतिवादीगण सं0 9

निर्णय

वादी ने वाद पत्र बाबत् इन्द्राज दुरस्ती राजस्व नक्शा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है से है :– ग्राम रायपुर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में खाता सं. नया 205 व पुराना 188 में कुल किता 07 रकबा 2.00 है. आराजियात् वादी के खातेदारी अधिकार में दर्ज होकर उनके कब्जे काश्त में चली आ रही है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय के द्वारा निर्णय किये जाने पर उक्त आदेश की पालना करते हुए पत्थरगढ़ी नियमानुसार की गई, तब वादी को अपनी आराजियात के नक्शे में सेटलमेंट वालों द्वारा साबिक नक्शे के अनुसार नहीं बनाकर मनमकसूद तरीके से बनाया है। वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी नं.

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

AnyScanner

237 रकबा 0.98 है. जमाबंदी में दर्ज है, पर उक्त आराजी नम्बर का जो नक्शा सेटलमेंट वालों द्वारा तैयार किया गया है, उस नक्शे का क्षेत्रफल 0.88 है. आता है। जो राजस्व नक्शे को 0.10 है. का छोटा बनाया है। वादी के खातेदारी अधिकार की आरजी नम्बर 237 का रकबा 0.10 है0 राजस्व नक्शे में कम किया वो रकबा वादी निम्नअनुसार कब्जा प्राप्त करने योग्य है :-

अ. कि प्रतिवादीगण नं. 02 की आराजी नं. 241 रकबा 0.04 है. दर्ज है, जबकि उक्त आराजी के नक्शे का क्षेत्रफल 0.05 है. बनता है जिसमें से कमी रकबा 0.01 है आराजी नं. 243 के नक्शे में शामिल है। प्रतिवादीगण नं. 2 के 0.01 है. आराजी नं. 243 से प्रतिवादीगण नं. 2 के नाम पर आयेगा। वादी के दर्ज होना चाहिये।

ब प्रतिवादीगण नं. 03 लगायत 06 के खातेदारी में आराजी नं. 238 रकबा 0.04 है. आ.चा. दर्ज है, जिसका राजस्व नक्शे में क्षेत्रफल 0.05 है. बनाया है। इस कारण आराजी नं. 238 में से 0.02 है. वादी के नाम दर्ज होना चाहिये। शेष रकबा 0.02 है. आराजी नं. 239 से प्रतिवादीगण नं. 03 लगायत 06 के नाम किया जावे व आराजी नं. 239 से 0.02 है. आराजी नं. 238 में जोड़ा जावे। आराजी नं. 239 का रकबा 0.04 है. व आराजी नं. 240 का रकबा 0.05 है कुल रकबा 0.09 है. आराजी नं. 242 से रकबा 0.08 व आराजी नं0 243 से रकबा 0.01 है. कम करते हुए साबिक नक्शे अनुसार नक्शा दुरस्त किया जावे। उक्त आराजी की खातेदार मु. घीसी पुत्री काना जी गाडरी थी, पर मु. घीसी ने आराजी नं. 238 में से अपना हिस्सा जरिये हक त्याग के प्रतिवादीगण नं. 06 के पक्ष में कर दिया। जिसका इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में है। इस कारण मु घीसी को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

स. प्रतिवादीगण नं. 07 की आराजी नं. 239 रकबा 0.04 है. व आराजी नं. 240 रकबा 0.06 है. दर्ज है, जबकि आराजी नं. 239 के नक्शे का क्षेत्रफल 0.04 है. बनता है जिसमें से 0.02 है. वादी के दर्ज होना चाहिये। शेष 0.02 है. आराजी नं. 238 में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। इसी तरह आराजी नं. 240 में से 0.05 है. वादी के नाम दर्ज होना चाहिये।

इस तरह पैरा नं. अ, ब, स में वर्णित अनुसार क्रमशः 0.01 है., 0.02है., 0.02 है. व 0.05 है. कुल 0.10 है. वादी के दर्ज किये जाने व नक्शे को भी तरमीम किये जाने हेतु आदेश बक्षावें।

वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 1114/229 रकबा 0.57 है. का जो नक्शा बनाया है, उस नक्शे का क्षेत्रफल 0.51 है. ही बनता है। इस तरह सेटलमेंट वालों ने आराजी नं. 1114/229 का रकबा राजस्व नक्शे में 0.06 है. कम या छोटा बनाया है। इस कारण वादी पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे को तरमीम कराना चाहता है। जो निम्न अनुसार है :-

अ. प्रतिवादीगण नं. 08 के खातेदारी में आराजी नं. 251 रकबा 0.53 है. दर्ज है। उक्त आराजी का जो नक्शा सेटलमेंट वालों द्वारा बनाया गया उस नक्शे का क्षेत्रफल 0. 55 है. बनता है, इस तरह प्रतिवादीगण नं. 08 की आराजी के क्षेत्रफल में 0.02 है. अधिक है जो वादी के नक्शे में जोड़ा जावें।

ब. प्रतिवादीगण नं. 01 की आराजी नं. 1109/229 रकबा 0.65 है. जमाबंदी में दर्ज है। पर उक्त आराजी का सेटलमेंट वालों द्वारा जो नक्शा बनाया गया उसका क्षेत्रफल 0.69 है. है। इस तरह 0.04 है. वादी के संशोधित नक्शे में जोड़ा जावे।

वादी का पैरा नं. 01 में वर्णित आराजियात् पर बहैसियत मालिक के काबिज होकर उपयोग उपभोग में काफी वर्षों से ले रहा है। वादी ने अपनी आराजियात् में से कुछ जमीन अपनी सुविधा के लिये पडत छोड़ रखी है। उक्त पड़त आराजियात् जो वादी की पड़ी हुई है, के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण नं. 01 लगायत 08 किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जिन्हें शामिल पत्रावली करवाया गया। नियत पेशी दिनांक 16.09.2020 को प्रतिवादीगण 01 लगायत 08

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)

AnyScanner

बावजूद सम्मन तामिल को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 09 की ओर से अभिभाषक श्री निखिल व्यास द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। प्रतिवादीगण संख्या 10 का सम्मन अदम तामिल लौटा। प्रतिवादी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. से करवाई गई। दिनांक 27.10.2020 को प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से अभिभाषक श्री आशीष पालीवाल द्वारा यू०टी० ली गई। दिनांक 19.01.2021 को अभिभाषक श्री दिनेश व्यास द्वारा प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से अधिकार पत्र मय जवाब दावा के प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अभिभाषक वादी को दी गई। प्रतिवादीगण संख्या 10 बावजूद सम्मन तामिल के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। एवं प्रतिवादी नम्बर 1 मृत्यु होने से अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के मय का0मु0 की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन के साथ प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी नम्बर 01 के विधिक वारिसान की तलबी की गई। दिनांक 10.02.2021 को प्रतिवादी नम्बर 10 की ओर से अभिभाषक श्री आशीष पालीवाल द्वारा अधिकार पत्र मय दो तरफा कार्यवाही प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पत्र अभिभाषक वादी द्वारा कोई एतराज नहीं किय जाने से प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही से दोरतफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल अभिभाषक वादी को दी गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 के कायम मुकाम नम्बर 1, 4, 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने के बावदजू कोई भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। कायम मुकाम क्रमांक 2, 3 की पुनः तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 के करवाई गई किन्तु ए0डी0 रसीद प्राप्त नहीं होने से पत्रावली बईंतजार ए0डी0 रसीद के नियत रखी गई। दिनांक 17.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 कायम मुकाम नम्बर 2 व 3 की पुनः तलबी जरिए रजिस्टर्ड ए0डी0 के करवाई गई। दिनांक 07.04.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम नम्बर 03 की ए0डी0 रसीद प्राप्त किन्तु बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकरतफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली कायम मुकाम नम्बर 02 की ए0डी0 रसीद के ईंतजार में रखी गई। दिनांक 06.07.2021 को कायम मुकाम नम्बर 02 की रजिस्टर्ड ए0डी0 प्राप्त होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने के नियत किया गया। दिनांक 28.07.2021 को अभिभाषक वादी द्वारा संशोधित शीर्षक मय प्रतिवादीगण 1/1 लगायत 1/5 की तलबी हेतु प्रोसेस सम्मन के प्रस्तुत किया गया। दिनांक 18.8.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 1/1, 1/4, 1/5 के सम्मन बाद तामिल लौटे किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण संख्या 1/3 की रजिस्टर्ड ए.डी. प्राप्त किन्तु बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है। दिनांक 07.09.2021 को अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा0दी0 के प्रस्तुत किया जो गुणावगुण के आधार पर दिनाकं 22.06.2022 को स्वीकार किया गया। अभिभाषक वादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली करवाई गई। दिनांक 14.11.2022 को अभिभाषक वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। प्रतिवादीगण 1/2, 1/3 के विरूद्ध कार्यवाही की गई। प्रकरण में नक्शा ट्रेस में अंकित नम्बरान के साबिक नम्बर अनुसार पुराने नक्शा ट्रेस से मिलान कर रकबा बुरारी संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा से मंगवाई गई जो तहसीलदार शाहपुरा द्वारा उनके पत्रांक 954 दिनांक 28.06.2023 से न्यायालय में प्राप्त हुई। दिनांक 25.07.2023 को अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 जा0दी0 के प्रस्तुत किया जो दिनांक 16.08.2023 को गुणावगुण के आधार पर स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 9, 10 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किये गये जिनमें वाद के सभी बिन्दुओं का खण्डन किया जाकर वाद पत्र खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वादी की ओर से स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य हेतु पेश किया गया। वादी ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श 01 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 02 साबिक नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 03 जमाबंदी संवत् 2055–2058, प्रदर्श 04 जमाबंदी संवत् 2035–2038, प्रदर्श 05 जमाबंदी संवत्

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)

AnyScanner

2035–2038, प्रदर्श 06 जमाबंदी संवत् 2055–2058, प्रदर्श 07 जमाबंदी संवत् 2025 से 2028 प्रदर्श 08 मिलान क्षेत्रफल तीन परत में, प्रदर्श 09 जमाबंदी संवत् 2074–2077, प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत् 2074–2077, प्रदर्श 11 जमाबंदी संवत् 2074–2077, प्रदर्श 12 जमाबंदी संवत् 2074–2077, प्रदर्श 13 जमाबंदी संवत् 2074–2077, प्रदर्श 14 जमाबंदी संवत् 2074–207 प्रस्तुत किये गये। उक्त सभी दस्तावेजात ग्राम रायपुर तहसील शाहपुरा के है। प्रतिवादीगणों को वादी से जिरह करने हेतु अवसर दिया गया, पर प्रतिवादीगणों की ओर से वादी से जिरह नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्य बन्द की जाकर बहस हेतु अवसर दिया गया।

वादी की ओर से मौखिक बहस करते हुए लिखित बहस भी पेश की गई। लिखित बहस में वादी ने अपने वाद पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद प्रदर्शित दस्तावेजों से करते हुए अपने साबिक नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा नहीं बनाये जाने की ताईद की। सेटलमेंट वालों द्वारा साबिक नक्शे के अनुसार वर्तमान नक्शा बिना किसी सक्षम अधिकारी के तैयार किया है जिसमें अन्तर स्पष्ट रूप से जाहिर आ रहा है। जिसकी ताईद में वादी की ओर से साबिक नक्शे व वर्तमान नक्शे में अन्तर वाला नक्शा वक्त बहस प्रस्तुत किया गया। जिसका मिलान किये जाने पर स्पष्ट रूप से अन्तर दिखाई दे रहा है। इस कारण वादी का प्रथम दृष्ट्या मुकदमा प्रतीत होता है। वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी नं. 237 रकबा 0.98 है. में 0. 10 है. व आराजी नं. 1114/229 रकबा 0. 57 है. में 0.06 है. रकबा कम होना जाहिर आता है। आराजी नं. 237 में आराजी नं. 238 रकबा 0.04 है. में से 0.02 है., आराजी नं. 241 रकबा 0.04 है. में से 0.01 है. आराजी नं. 239 रबा 0.04 है. में से 0.02 है. व आराजी नं. 240 रकबा 0.06 है. में से 0.05 है. कुल रकबा 0.10 है. वादी की आराजी से लगी हुई भूमि को तरमीम किया जावे। इसी तरह आराजी नं. 1114/229 में आराजी नं. 1109/229 रकबा 0.65 है. दर्ज है, पर उक्त आराजी का वर्तमान नक्शे का क्षेत्रफल 0.69 है. है में से 0.04 है., इसी तरह आराजी नं. 251 रकबा 0.53 है. दर्ज है, पर उक्त आराजी का वर्तमान नक्शे का क्षेत्रफल 0.55 है. होने से 0.02 है. कुल 0.06 है. वादी की आराजी से लगी हुई भूमि को तरमीम किया जावे। इस कारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र डिक्री किया जाता है। आदेश के साथ संलग्न नक्शा डिक्री का भाग है।

–: आदेश :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र इन्द्राज दुरस्ती राजस्व नक्शा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादी के पक्ष में बहक प्रतिवादीगणों के खिलाफ स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम रायपुर पटवार हल्का प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील में आराजी नं. 237 में आराजी नं. 238 रकबा 0.04 है. में से 0.02 है., आराजी नं. 241 रकबा 0.04 है. में से 0.01 है. आराजी नं. 239 रबा 0.04 है. में से 0.02 है. व आराजी नं. 240 रकबा 0.06 है. में से 0.05 है. कुल रकबा 0.10 है. वादी की आराजी से लगी हुई भूमि को तरमीम किया जावे। इसी तरह आराजी नं. 1114/229 में आराजी नं. 1109/229 रकबा 0.65 है. दर्ज है, पर उक्त आराजी का वर्तमान नक्शे का क्षेत्रफल 0.69 है. है में से 0.04 है., इसी तरह आराजी नं. 251 रकबा 0.53 है. दर्ज है, पर उक्त आराजी का वर्तमान नक्शे का क्षेत्रफल 0.55 है. होने से 0.02 है. कुल 0.06 है. वादी की आराजी से लगी हुई भूमि को तरमीम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण स्वयं या परिवार के सदस्यों या नौकरों एजेन्टों के खिलाफ उक्त आराजियात् के उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं किये जाने हेतु भी डिक्री जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र भूरालाल जी छीपा उम्र 68 वर्ष पेशा खेती निवासी प्रतापपुरा हाल शाहपुरा जिला भीलवाड़ा —वादी

बनाम

1. श्री सोहनलाल पुत्र भूरालाल जी छीपा निवासी सिंधी कॉलोनी शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
   1/1– मु. आशादेवी पत्नी सोहनलाल छीपा निवासी सिंधी कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
   1/2– श्रीमती अंजना पुत्री सोहनलाल छीपा पत्नी विनोद अंछारा (छीपा) निवासी विनोद इलेक्ट्रोनिक्स, बैंक के पास, बस स्टेण्ड, मु.पो. कुवारियां जिला राजसमन्द
   1/3– श्रीमती अंजना पुत्री सोहनलाल छीपा पत्नी राजेश धनोपिया निवासी धनोपिया भवन कृष्ण कॉलोनी, विक्टोरिया हॉस्पीटल के पीछे, लोहागल रोड़, अजमेर
   1/4– सुनील कुमार पुत्र सोहनलाल छीपा निवासी सिंधी कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
   1/5– सुरेश कुमार पुत्र सोहनलाल छीपा निवासी सिंधी कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. मु. प्रेम पुत्री सालगराम गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. मु. केसर पत्नी हीरा गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
4. मांगीलाल पुत्र हीरा गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5. मु. रामू पुत्री हीरा गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
6. सुखदेव पुत्र खाना गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
7. हरिनारायण पिता भैरूलाल गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
8. मु. धन्नी पुत्री मु. गलकू गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
9. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
10. शाखा प्रबन्धक, आईसीआईसीआई बैंक, शाखा सुभाष नगर, भीलवाड़ा
11. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत इन्द्राज दुरूस्ती राजस्व नक्शा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर 40 सन् 2020 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम रायपुर पटवार हल्का प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील में आराजी नं. 237 में आराजी नं. 238 रकबा 0.04 है. में से 0.02 है., आराजी नं. 241 रकबा 0.04 है. में से 0.01 है. आराजी नं. 239 रबा 0.04 है. में से 0.02 है. व आराजी नं. 240 रकबा 0.06 है. में से 0.05 है. कुल रकबा 0.10 है. वादी की आराजी से लगी हुई भूमि को तरमीम किया जावे। इसी तरह आराजी नं. 1114/229 में आराजी नं. 1109/229 रकबा 0.65 है. दर्ज है, पर उक्त आराजी का वर्तमान नक्शे का क्षेत्रफल 0.69 है. है में से 0.04 है., इसी तरह आराजी नं. 251

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर

SCAN AnyScanner

रकबा 0.53 है. दर्ज है, पर उक्त आराजी का वर्तमान नक्शे का क्षेत्रफल 0.55 है. होने से 0.02 है. कुल 0.06 है. वादी की आराजी से लगी हुई भूमि को तरमीम किया जावे। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है स्वयं या परिवार के सदस्यों या नौकरों एजेन्टों से उक्तानुसार आराजियात के उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं कें।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 07 माह 11 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा,जिला-भीलवाड़ा(राज.)

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा
जिला भीलवाड़ा